



फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

पन्नालाल विपक्षी सुखलाल
 मुकदमा वाद पत्रावली संख्या 53/20 सन्

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
<p>21/10/22 आज दिनांक की वार एसोसियेशन मावली नें कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक..... 16/12/22 को पेश हो।</p>	
<p>16/12/22 आज दिनांक की वार एसोसियेशन मावली नें कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक..... 17/02/23 को पेश हो।</p>	
<p>17/2/23 आज दिनांक की वार एसोसियेशन मावली नें कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक..... 28/4/23 को पेश हो।</p>	
<p>28/4/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्राथी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पो उपरिथत/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक..... 21/7/23 को पेश हो।</p>	
<p>20/6/23 पत्रावली तलब की गई। 'प्रशासन गावों के सग अभियान-2023' आयोजित किया जाने से पत्रावली में अधिवक्ता पदनाम के अतिरिक्त जजकर पत्रावली कंम्य <u>भेस्ता</u> दिनांक <u>21/6/23</u> को पेश हो।</p>	
<p>21/6/23 आज का कंम्य पेश हुई प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजी-नामा जारी हो जाया। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में न्यायालय हाजा में दिनांक <u>21/7/23</u> को पेश हो</p>	<p>महायक कलेक्टर SDO' मावली</p> 

21/7/23
वकील/प्रतिवादी उप.
के लिये मौका चाहते है। अतः 21/7/23
भवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 08/09/23
को पेश हो।

SDO मावली

8/9/23

पत्रावली पेश दु., वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
प्रतिवादी/विपक्षी/रस्यो उपस्थित/पीठासीन
अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
दिनांक 27/10/23 को पेश हो

वकील/प्रतिवादी उप.
के लिये मौका चाहते है। अतः 27/10/23
भवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 27/10/23
को पेश हो।

SDO मावली

27/10/23

पत्रावली पेश दु., वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
प्रतिवादी/विपक्षी/रस्यो उपस्थित/पीठासीन
अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
दिनांक 27/10/23 को पेश हो

02/02/24

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मद्य वादी
अनुपस्थित। अधिवक्ता मद्य वादी को आवाजे दिलवाई
गई। समय सांघ 5:00 PM हो चुके हैं। अनुपस्थित
हैं। अतः अधिवक्ता मद्य वादी अनुपस्थित बहने पर
वादी का वाद शरम हाजरी शरम पैरवी में खारिज
किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर
से कम हो।



सहायक कलक्टर
(SDO) मावली